भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5394

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्षमता निर्माण

5394. श्री छोटेलाल:

श्री जिया उर रहमान:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पूंजी/कम ब्याज दर पर ऋण और वित्तीय सहायता की कमी के कारण विकास और विस्तार में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उद्यमों को सुगम ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) क्या सरकार का एमएसएमई को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने के लिए कोई विशेष/लक्षित योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक पहुंच को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इन उपायों में कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस): सीजीएस में 90 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रु. तक की सीमा के कोलेटरल मुक्त ऋणों का प्रावधान है। सीजीएस के तहत एमएसई के लिए प्रदान की गई गारंटियों की संख्या तथा अनुमोदित गारंटियों की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	**वर्ष 2000-01 से वर्ष 2019-2020 तक**	**वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2024-2025 तक (दिनांक 28.02.2025 तक)**
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	43,53,591	64,81,482
अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रु. में)	2,28,704	6,55,987

(ii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) विनिर्माण तथा सेवा उद्यमों के लिए क्रमशः 50 लाख रु. और 20 लाख रु. की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

(iii) विशिष्ट क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद हेतु संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है।

(iv) पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगर और शिल्पकार जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, को संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान करना, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेन-देन हेतु प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं।

(v) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना गैर-निगमित, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रु. तक के ऋण प्रदान करती है।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, अवशिष्ट कम करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने, व्यावसायिक प्रतिस्पार्धात्मकता को बढ़ाने और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच तथा उत्कृष्टता को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई चैंपियंस स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत घटकों में एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड), एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) और एमएसएमई-इनोबेटिब (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई) घटक शामिल हैं। देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूम का नेटवर्क एमएसएमई को आधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकीयों तक पहुंच, प्रशिक्षण और कौशल एवं उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर एमएसएमई को सहायता प्रदान करते हैं। जेड 2.0 स्कीम, प्रमाणन स्तर की प्रभावकारिता और गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

*****